HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4285/2026
CNR: RJHC020258382026 | URN: CRLMB / 7582U / 2026

Tahir S/o Mehtab, Aged About 45 Years, R/o Village Moongsaka, Police Station Pahadi, District Deeg. (Raj.) (The Accused Petitioner Presently Confined In District Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9213/2026
CNR: RJHC020548692026 | URN: CRLMB / 16877U / 2026

Arsida D/o Jakir @ Nurmohammad, Aged About 23 Years, R/o Village Nangal, P.S. Kaithwada, District-Deeg.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta Mr. Arvind Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P. Mr. Mukesh Kumar Goyal

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त **ताहिर** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित **06.03.2026** के विरूद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** तथा प्रार्थी/अभियुक्ता **अरसीदा** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित **30.05.2026** के

विरूद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** पृथक–पृथक, उन्हें पुलिस थाना–पहाड़ी, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**274/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 351(3), 140(2), 127(2) एवं 3(5)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। ये दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्तागण–प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण क्रमशः दिनांक 31.10.2025 एवं 12.11.2025 से अभिरक्षा में हैं। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि विचारण के दौरान परिवादी जानू के बयान पी0ड01 के रूप में दिनांक 18.08.2026 को लेखबद्ध हो चुके हैं, जिसमें परिवादी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और वह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध किया।

योग्य अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि प्रार्थीगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। गवाह पी0डब्ल्यू–1 परिवादी की साक्ष्य का अवलोकन किया, उसके द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा वह पक्षद्रोही रहा है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के तथ्य भी प्रकट हुए हैं। प्रार्थीगण लम्बी अवधि से अभिरक्षा में है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/–रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. ताहिर पुत्र श्री महताव एवं 2. अरसीदा पुत्री श्री जाकर उर्फ नूर मोहम्मद** को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/33-34